

राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC V)/2018/422

दिनांक: 16.02.2018

नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के अध्याय VII के तहत विभाग के निम्न अधिशुल्क / अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं अन्य शुल्क संग्रहण के ठेके (क.स. 1 से 23 तक वर्णित ठेकों की अवधि संविदा निष्पादन की तिथि से 31.3.2019 तक एवं क.स. 24 से 26 पर वर्णित ठेके की अवधि 1.4.2018 से 31.3.2020 तक) ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु तालिका में अंकित कार्यक्रम के अनुसार बोली इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर आमंत्रित की जाती है। उक्त बोली दो चरणों में ली जावेगी।

क्र.स	ठेके का कोड क्रमांक	कार्यालय का नाम जिस क्षेत्र का ठेका दिया जाना है	ठेका क्षेत्र का विवरण	ठेके का प्रकार	खनिज का नाम	ठेके के तहत वसूल की जाने वाली राशि का विवरण	ठेके की आरक्षित राशि (रूपयों में)	बोली लगाने हेतु अमानत राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	प्रथम चरण में बोली प्रस्तुत करने की दिनांक व समय	द्वितीय चरण हेतु योग्य पाये गये बोलीदाता को सूचित करने की दिनांक	द्वितीय चरण में बोली प्रस्तुत करने की दिनांक	द्वितीय चरण में बोली प्रस्तुत करने का समय	उच्चतम बोलीदाता के नाम को घोषित करने की दिनांक
1	188	खनि अभियन्ता, भीलवाडा	जिला भीलवाडा की तहसील शाहपुरा, बनेडा, माण्डल, करेडा, आसीन्द एवं बदनोर की राजस्व सीमा में खनिज चुनाई पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चुनाई पत्थर	ईआरसीसी	चुनाई पत्थर	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	8395700	27.02.18	28.02.18 को 8.00 पी.एम. तक	08.03.18 तक	09.03.18	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर	12.03.18

2	194	खनि अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील बिलाडा व पीपाड शहर की राजस्व सीमा में खनिज रॉयोलाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज रॉयोलाईट	ईआरसीसी	रॉयोलाईट	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	13178900	27.02.18	28.02.18 को 8.00 पी.एम. तक	08.03.18 तक	09.03.18	11.00 ए.एम. से 1.00 पी.एम.	12.03.18
3	196	खनि अभियन्ता, प्रतापगढ	जिला प्रतापगढ की तहसील धरियावद, छोटीसादडी, प्रतापगढ, अरनोद व पीपलखूंट की राजस्व सीमा में खनिज सोपस्टोन, डोलोमाईट, केलसाईट, रेड ऑकर, क्वार्टज व फ़ैल्सपार के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित, खनिज सोपस्टोन, डोलोमाईट, केलसाईट, रेड ऑकर, क्वार्टज व फ़ैल्सपार	ईआरसीसी	सोपस्टोन, डोलोमाईट, केलसाईट, रेड ऑकर, क्वार्टज व फ़ैल्सपार	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	89185900	27.02.18	28.02.18 को 8.00 पी.एम. तक	08.03.18 तक	09.03.18	12.00 दोपहर से 2.00 पी.एम.	12.03.18
4	174	सहायक खनि अभियन्ता, नीमकाथाना	जिला सीकर की तहसील नीमकाथाना की राजस्व सीमा में खनिज डोलोमाईट, क्वार्टज, फ़ैल्सपार, सिलिका सैण्ड एवं केलसाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज डोलोमाईट, क्वार्टज, फ़ैल्सपार, सिलिका सैण्ड एवं केलसाईट	ईआरसीसी	डोलोमाईट, क्वार्टज, फ़ैल्सपार, सिलिका सैण्ड एवं केलसाईट	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	60535700	27.02.18	28.02.18 को 8.00 पी.एम. तक	08.03.18 तक	09.03.18	1.00 पी.एम. से 3.00 पी.एम.	12.03.18

5	175	खनि अभियन्ता, करौली	जिला करौली की राजस्व सीमा में खनिज सिलिका सैण्ड, वाईट क्ले, चाईना क्ले, सोपस्टोन, क्वार्टज, बैराईटीज, फ़ैल्सपार एवं साधारण खडिया के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सिलिका सैण्ड, वाईट क्ले, चाईना क्ले, सोपस्टोन, क्वार्टज, बैराईटीज, फ़ैल्सपार एवं	ईआरसीसी	सिलिका सैण्ड, वाईट क्ले, चाईना क्ले, सोपस्टोन, क्वार्टज, बैराईटीज, फ़ैल्सपार एवं साधारण खडिया	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	33494000	27.02.18	28.02.18 को 8.00 पी.एम. तक	08.03.18 तक	09.03.18	2.00 पी.एम. से 4.00 पी.एम.	12.03.18
6	180	खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़	जिला चित्तौड़ की तहसील चित्तौड़ व गंगरार की राजस्व सीमा में खनिज चाईनाक्ले, रेड ऑकर, येलो ऑकर, सिलिका सैण्ड व क्वार्टज के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चाईनाक्ले, रेड ऑकर, येलो ऑकर, सिलिका सैण्ड व क्वार्टज	ईआरसीसी	चाईनाक्ले, रेड ऑकर, येलो ऑकर, सिलिका सैण्ड व क्वार्टज	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	83104000	27.02.18	28.02.18 को 8.00 पी.एम. तक	08.03.18 तक	09.03.18	3.00 पी.एम. से 5.00 पी.एम.	12.03.18

7	182	सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेडा	जिला चित्तौड की तहसील बडीसादडी, निम्बाहेडा, भदेसर व डूंगला की राजस्व सीमा में खनिज चाईनाक्ले, क्वार्टज, रेडऑकर व सिलिका सैण्ड के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चाईनाक्ले, क्वार्टज, रेडऑकर व सिलिका सैण्ड	ईआरसीसी	चाईनाक्ले, क्वार्टज, रेडऑकर व सिलिका सैण्ड	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	39421900	27.02.18	28.02.18 को 8.00 पी.एम. तक	08.03.18 तक	09.03.18	4.00 पी.एम. से 6.00 पी.एम.	12.03.18
8	158	खनि अभियन्ता, झुंझुनू	जिला झुंझुनू की तहसील खेतडी, बुहाना, उदयपुरवाटी व नवलगढ की राजस्व सीमा में खनिज सोपस्टोन, रेडऑकर, पायरोफलाईट, फायर क्ले, केलसाईट, क्वार्टज, फ़ैल्सपार, सिलिका सैण्ड एवं क्वार्टजाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सोपस्टोन, रेडऑकर, पायरोफलाईट, फायर क्ले, केलसाईट, क्वार्टज, फ़ैल्सपार, सिलिका सैण्ड एवं क्वार्टजाईट	ईआरसीसी	सोपस्टोन, रेडऑकर, पायरोफलाईट फायर क्ले, केलसाईट, क्वार्टज, फ़ैल्सपार, सिलिका सैण्ड एवं क्वार्टजाईट	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	9530100	27.02.18	28.02.18 को 8.00 पी.एम. तक	08.03.18 तक	09.03.18	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर	12.03.18

9	159	खनि अभियंता, सौजतसिटी	जिला पाली (तहसील रायपुर को छोड़कर) की राजस्व सीमा में खनिज चायनाक्ले, बॉल क्ले व अन्य क्ले, सिलिका सैण्ड, क्वार्टज व फ़ैल्सपार के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चायनाक्ले, बॉल क्ले व अन्य क्ले, सिलिका सैण्ड, क्वार्टज व फ़ैल्सपार	ईआरसीसी	चायनाक्ले, बॉल क्ले व अन्य क्ले, सिलिका सैण्ड, क्वार्टज व फ़ैल्सपार	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	34452900	27.02.18	28.02.18 को 8.00 पी.एम. तक	08.03.18 तक	09.03.18	11.00 ए.एम. से 1.00 पी.एम.	12.03.18
10	169	खनि अभियन्ता, कोटा	जिला बून्दी की तहसील इन्द्रगढ़ व तहसील नेनवा की ग्राम पंचायतें कमशः तलवास, आन्तरदा, करवर, मोडसा, सहन व खजूरी की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	19470400	27.02.18	28.02.18 को 8.00 पी.एम. तक	08.03.18 तक	09.03.18	12.00 दोपहर से 2.00 पी.एम.	12.03.18
11	93	सहायक खनि अभियन्ता, झालावाड	जिला झालावाड की तहसील झालरापाटन की राजस्व सीमा में खनिज बेन्टोनाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज बेन्टोनाईट	ईआरसीसी	बेन्टोनाईट	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	619700	27.02.18	28.02.18 को 8.00 पी.एम. तक	08.03.18 तक	09.03.18	1.00 पी.एम. से 3.00 पी.एम.	12.03.18

N

12	111	खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी	जिला कोटा की तहसील सांगोद की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	1601100	27.02.18	28.02.18 को 8.00 पी.एम. तक	08.03.18 तक	09.03.18	2.00 पी.एम. से 4.00 पी.एम.	12.03.18
13	48	खनि अभियन्ता, झुंझुनू	जिला झुंझुनू की तहसील चिडावा की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर	ईआरसीसी	चेजा पत्थर	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	6567600	27.02.18	28.02.18 को 8.00 पी.एम. तक	08.03.18 तक	09.03.18	3.00 पी.एम. से 5.00 पी.एम.	12.03.18
14	38	खनि अभियन्ता जयपुर	जिला जयपुर की तहसील बस्सी, सांगानेर एवं चाकसू की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर व गिट्टी, मारबल एवं क्वार्टजाइट के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर व गिट्टी, मारबल एवं	ईआरसीसी	चेजा पत्थर व गिट्टी, मारबल एवं क्वार्टजाइट	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	93082600	27.02.18	28.02.18 को 8.00 पी.एम. तक	08.03.18 तक	09.03.18	4.00 पी.एम. से 6.00 पी.एम.	12.03.18
15	63	खनि अभियन्ता अलवर	जिला अलवर की तहसील थानागाजी की राजस्व सीमा में खनिज चुनाई पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चुनाई पत्थर	ईआरसीसी	चुनाई पत्थर	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	666600	27.02.18	28.02.18 को 8.00 पी.एम. तक	08.03.18 तक	12.03.18	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर	13.03.18

16	52	सहायक खनि अभियन्ता टोंक	जिला टोंक की तहसील टोंक, पीपलू, निवाई व मालपुरा की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निकलने वाला खनिज चेजा पत्थर	ईआरसीसी	चेजा पत्थर	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	555100	27.02.18	28.02.18 को 8.00 पी.एम. तक	08.03.18 तक	12.03.18	11.00 ए.एम. से 1.00 पी.एम.	13.03.18
17	19	सहायक खनि अभियन्ता सावर	जिला अजमेर की तहसील केकडी की राजस्व सीमा में खनिज चुनाई पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चुनाई पत्थर	ईआरसीसी	चुनाई पत्थर	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	496600	27.02.18	28.02.18 को 8.00 पी.एम. तक	08.03.18 तक	12.03.18	12.00 दोपहर से 2.00 पी.एम.	13.03.18
18	51	सहायक खनि अभियन्ता टोंक	जिला टोंक की तहसील उनियारा की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर	ईआरसीसी	चेजा पत्थर	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	411600	27.02.18	28.02.18 को 8.00 पी.एम. तक	08.03.18 तक	12.03.18	1.00 पी.एम. से 3.00 पी.एम.	13.03.18
19	50	सहायक खनि अभियन्ता टोंक	जिला टोंक की तहसील देवली व टोडारायसिंह की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर	ईआरसीसी	चेजा पत्थर	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	277200	27.02.18	28.02.18 को 8.00 पी.एम. तक	08.03.18 तक	12.03.18	2.00 पी.एम. से 4.00 पी.एम.	13.03.18

20	105	खनि अभियन्ता, जयपुर	जिला जयपुर की तहसील जयपुर की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर व गिट्टी	ईआरसीसी	चेजा पत्थर व गिट्टी	अधिक अधिशुल्क व डी.एम.एफ. टी.	16143400	27.02.18	28.02.18 को 8.00 पी.एम. तक	08.03.18 तक	12.03.18	3.00 पी.एम. से 5.00 पी.एम.	13.03.18
21	108	खनि अभियन्ता, चूरु	जिला चूरु की तहसील चूरु के ग्राम झूँकर, रूपेली, साण्डला एवं समस्त सुजानगढ व बीदासर की राजस्व सीमा में खनिज मार्बल के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल	ईआरसीसी	मार्बल	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	7561400	27.02.18	28.02.18 को 8.00 पी.एम. तक	08.03.18 तक	12.03.18	4.00 पी.एम. से 6.00 पी.एम.	13.03.18
22	155	खनि अभियन्ता, जयपुर	जिला जयपुर की तहसील आमेर व जमवारामगढ के ग्राम गुणावता, नटाटा, साईवाड, चिमनपुरा, देव का हरमाडा, मेवल, अराली, हरवर, बुरहानपुरा-अहिरान, जयसिंहपुरा खोर मीणा, कोट-कालवाड, अरनिया, बोबाडी, चकमनोहरपुरा, लूनेठा की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर व ग्रिट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर व ग्रिट	ईआरसीसी	चेजा पत्थर व ग्रिट	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	117183600	27.02.18	28.02.18 को 8.00 पी.एम. तक	08.03.18 तक	12.03.18	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर	13.03.18




23	157	खनि अभियंता, डूंगरपुर	जिला डूंगरपुर की तहसील डूंगरपुर, बिच्छीवाडा एवं सागवाडा की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	4403200	27.02.18	28.02.18 को 8.00 पी.एम. तक	08.03.18 तक	12.03.18	11.00 ए.एम. से 1.00 पी.एम.	13.03.18
24	199	सहायक खनि अभियंता, सावर	जिला अजमेर की तहसील केकडी व सावर की राजस्व सीमा में खनिज मार्बल के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल व मार्बल खण्डा (जिसका उपयोग चुनाई पत्थर के रूप में होता हों)	ईआरसीसी	मार्बल व मार्बल खण्डा (जिसका उपयोग चुनाई पत्थर के रूप में होता हों)	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	416846100	27.02.18	28.02.18 को 8.00 पी.एम. तक	08.03.18 तक	12.03.18	12.00 दोपहर से 2.00 पी.एम.	13.03.18
25	200	खनि अभियंता, नागौर	जिला नागौर की तहसील लाडनू की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	106940300	27.02.18	28.02.18 को 8.00 पी.एम. तक	08.03.18 तक	12.03.18	1.00 पी.एम. से 3.00 पी.एम.	13.03.18

26	241	खनि अभियंता, भीलवाडा	जिला भीलवाडा की तहसील कोटडी एवं जहाजपुर की राजस्व सीमा में प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल, खण्डा एवं लफर	ईआरसीसी	मार्बल, खण्डा एवं लफर	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	8545900	20.03.18	21.03.18 को 8.00 पी. एम. तक	22.03.18 तक	23.03.18	11.00 ए.एम. से 1.00 पी. एम.	26.03.18
----	-----	----------------------	---	---------	-----------------------	---------------------------------	---------	----------	-----------------------------	-------------	----------	-----------------------------	----------


नोट :-

- समस्त ठेकों, चाहे वह कितनी भी आरक्षित राशि के हैं, के ई-ऑक्शन में भाग लेने हेतु विभागीय पंजीयन राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 35 व 36 के प्रावधानों अनुसार अनिवार्य है।
- बोलीदाता को बोली में भाग लेने से पूर्व इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता एम.एस.टी.सी. पर पंजीयन करवाना आवश्यक होगा जिसका एड्रेस [mstcecommerce.com](http://mstcecommerce.com) है। पंजीयन के पश्चात एम.एस.टी.सी. द्वारा बोलीदाता को लॉगिन आई.डी. व पासवर्ड उपलब्ध करवाया जावेगा। एम.एस.टी.सी. के साथ पंजीयन केवल एक बार ही करवाना होगा। उक्त पंजीयन के आधार पर इच्छुक व्यक्ति खनिज विभाग में ठेके तथा खनन पट्टे में बोली इत्यादि में भाग ले सकेंगे।
- बोलीदाता को आरक्षित राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि अमानत राशि के रूप में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता (एम.एस.टी.सी.) को जरिये आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. / आई.एम. पी.एस. जमा करानी होगी। बोलीदाता को प्रथम चरण में आरक्षित राशि के बराबर अथवा उससे अधिक की प्रारम्भिक बोली (initial price offer) के रूप में दी जानी होगी। द्वितीय चरण में वे ही बोलीदाता भाग ले सकेंगे जिन्होंने प्रथम चरण में अपनी प्रारम्भिक बोली दी है तथा बोली (रैंक) के आधार पर द्वितीय चरण हेतु चयनित होंगे। प्रथम चरण में चयनित वे बोलीदाता जिन्हें द्वितीय चरण में भाग लेना है उन्हें जरिये ईमेल / एस.एम.एस. से सूचित किया जावेगा। प्रथम चरण में जो उच्चतम बोली प्राप्त होगी, वह द्वितीय चरण के लिये न्यूनतम बोली राशि अर्थात Floor price होगी। प्रथम चरण में योग्य घोषित बोलीदाता द्वितीय चरण में अपनी अंतिम बोली प्रस्तुत कर सकेंगे जो उक्त न्यूनतम बोली राशि (Floor price) से कम नहीं होगी। द्वितीय चरण में अंतिम बोली नीलामी समाप्त होने से पूर्व तक कितनी भी बार बढ़ाई जा सकती है। द्वितीय चरण में कोई बोली प्राप्त नहीं होने पर प्रथम चरण के उच्चतम बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी। द्वितीय चरण में चयनित उच्चतम बोलीदाता को जरिये ईमेल / एस.एम.एस. सूचित किया जावेगा।
- रूपया 10 करोड से अधिक बिड राशि के ठेकों में ठेकेदार को स्वयं के खर्च पर तुलायंत्र स्थापित करना होगा जो ठेका समाप्ति के बाद विभाग को सुपुर्द करना होगा।
- ई-ऑक्शन हेतु गाईडलाईन एवं ठेके की शर्तों का स्पष्ट उल्लेख राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 में किया गया है।
- प्रथम चरण में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची तथा शपथ पत्रों का प्रारूप विभागीय वेबसाईट [www.mines.rajasthan.gov.in](http://www.mines.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।
- यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाईट [www.mines.rajasthan.gov.in](http://www.mines.rajasthan.gov.in) व इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता एम.एस.टी.सी. की वेबसाईट [mstcecommerce.com](http://mstcecommerce.com) पर दी जावेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जावेगा।

  
 (ओ पी. कांबरा)  
 अधीक्षण खनि अभियन्ता (नी.प्र.)

प्रतिलिपि :-

- 1- श्री दिनेश कुमार मील, Dy. Manager, MSTC LTD Jaipur को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन एम एस टी सी की वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 2- नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के का उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 3 - नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
- 4- निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :-
  - अ- अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा।
  - ब - अधीक्षण खनि अभियन्ता - उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।
  - स- खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/धौलपुर /अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी-1/II/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/ नागौर/ सोजत/ उदयपुर/राजसमन्द-1/ II/आमेट/भीलवाडा/चित्तोडगढ/प्रतापगढ/बिजौलिया/झुंझुनू/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/डुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर ।
  - द -सहायक खनि अभियन्ता, टौक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/ सलूमबर/ऋषभदेव/निम्बाहेडा/सवाईमाधोपुर/बांरा/दौसा/रूपवास/ हनुमानगढ/चुरु/ नीमकाथाना/सावर

  
(अ.पी. काबरा)

अधीक्षण खनि अभियन्ता (नी.प्र.)